[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 38/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2019

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन **प्ररूप आईटीसी-04** में चालान के ब्यौरे देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो ऐसी विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे की उक्त व्यक्तियों से जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए उक्त नियम के नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन **प्ररूप आईटीसी-04** देने की अपेक्षा नहीं होगी :

परंतु उक्त व्यक्ति, अप्रैल से जून, 2019 तक की तिमाही के लिए **प्ररूप आईटीसी-04** की क्रम संख्या 4 में, जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि में छुटपुट काम करने वाले कर्मकार को भेजे गए ऐसे माल के संबंध में सभी चालानों के ब्यौरे देंगे, जो कर्मकार से वापस प्राप्त नहीं हुआ है या जिसका छुटपुट काम करने वाले कर्मकार के स्थान से प्रदाय नहीं किया गया है ।

[फा.सं. 20/06/09/2019-जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार